राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3972/2022

कृष्णा मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव शिक्षा विभाग, राजस्थान।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
4. अरविन्द कुमार जागिंड राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बामनपाड़ा बांसवाड़ा, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.09.2022
आदेश की दिनांक : 11.10.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेश कुमार मीणा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थीया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील में संशोधन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे सुना जाकर रिकॉर्ड कर लिया गया।

अपीलार्थीया के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता, संस्कृत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चन्दवाजी जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थीया के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022 के द्वारा अपीलार्थीया का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय साखुन रूरल, जयपुर में किया गया। उनका कथन है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को संमजित करने के उद्देश्य से अपीलार्थीया का बिना किसी कारण के स्थानान्तरण कर दिया गया, जो राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति के विपरीत है। अपीलार्थीया का कहना है कि व्याख्याता का पद सिर्फ उच्च मा. विद्यालय में ही सर्जित होता है, माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याता का पद सर्जित नहीं किया जा

सकता है इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा पारित आदेश नोन अपलीकेशन आफ माईन्ड की श्रेणी में आता है तथा अपीलार्थीया का 2 वर्ष में लगातार दो बार स्थानान्तरण किया गया है, एवं अपीलार्थीया अपने सास–ससुर व बच्चों को साथ रखती है, अपीलार्थीया के सास–ससुर बुजुर्ग अवस्था में है जिनकी देखभाल अपीलार्थीया ही करती है। फिर भी अपीलार्थीया का स्थानान्तरण किया गया जो नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन व्याख्याता, संस्कृत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चन्दवाजी जयपुर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं छात्रहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप

नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 150 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

> *"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक